फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

मैसर्स हिन्दुजा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 2013) पंजीकृत कार्यालय–27–ए, डवलपड इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गुईण्डी, चेन्नई तथा शाखा कार्यालय 16, 17, 18, कॉरपोरेशन बैंक के ऊपर, नगर पालिका लिंक रोड़, उदयपुर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री केशव व्यास।

..... **प्रार्थी कम्पनी**

बनाम

1. सुरेश बागोरा पुत्र श्री शंकर लाल पालीवाल, पता – गायत्री भवन, सुन्दरचा, राजसमन्द, राजस्थान – 313324

एवं

पता – पटटा नम्बर 2303, खसरा नम्बर 1468, ग्राम सुन्दरचा, ग्राम पंचायत सुन्दरचा, पंचायत समिति राजसमन्द, जिला राजसमन्द, राजस्थान – 313324

(ऋणी)

2. श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री सुरेश चन्द्र पालीवाल, पता – गायत्री भवन, सुन्दरचा, राजसमन्द, राजस्थान–313324

एवं

पता – पटटा नम्बर 2303, खसरा नम्बर 1468, ग्राम सुन्दरचा, ग्राम पंचायत सुन्दरचा, पंचायत समिति राजसमन्द, जिला राजसमन्द, राजस्थान – 313324

(सहऋणी)

3. पंकज रमेश रामेश्वरलाल पालीवाल पुत्र श्री रामेश्वरलाल पालीवाल, पता – शिव मन्दिर के पास, मोर्चना, राजसमन्द, राजस्थान – 313324

एवं

पता पट्टा नम्बर 2303, खसरा नम्बर 1468, ग्राम सुन्दरचा, ग्राम पंचायत सुन्दरचा, पंचायत समिति राजसमन्द, जिला राजसमन्द, राजस्थान–313324

(सहऋणी)

..... **अप्रार्थीगण**

न्यायालय जिला कलक्टर

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 24/2024**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 04.07.2024 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी हिन्दुजा लिलेण्ड फाइनेन्स लिमिटेड उदयपुर ने दिनांकः 07.06.2024 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण से प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण खाता संख्या RJ/UPR/RAJS/A000000071 के 7,60,000/– रुपये व RJ/UPR/UDPR/A000000297 के 68,000/– रुपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्न भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी एक अचल सम्पत्ति – पटटा नम्बर 2303, खसरा नम्बर 1468, ग्राम सुन्दरचा, ग्राम पंचायत सुन्दरचा, पंचायत समिति राजसमन्द, जिला राजसमन्द, राजस्थान को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और दिनांक 31/01/2024 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए घोषित कर दिया है। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या RJ/UPR/RAJS/A000000071 में राशि 9,63,472/– रुपये (अक्षरे नौ लाख तरसठ हजार चार सौ बहत्तर रुपये मात्र) व ऋण खाता संख्या RJ/UPR/UDPR/A000000297 में राशि 79,895/– रुपये (अक्षरे उनासी हजार आठ सौ पिचानवे रूपये मात्र) तथा इस प्रकार दोनो ऋण खातों में संयुक्त रूप से कुल राशि 10,43,367/– रूपये (अक्षरे दस लाख तेतालिस हजार तीन सौ सतसठ रूपये) बकाया रकम व ब्याज दिनांक 01/02/2024 तक शेष देय निकलते है, की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 27/02/2024 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में नफा नुकसान व अंग्रजी में बिजनेस स्टैंडर्ड में दिनांक 21/03/2024 को प्रकाशित भी करवाया गया। परन्तु धारा 13 (2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का सुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्ण भुगतान के लिए जो सम्पत्ति रहन रखी है। उसका प्रार्थी कम्पनी में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार है :– पटटा नम्बर 2303, खसरा नम्बर 1468, ग्राम सुन्दरचा, ग्राम पंचायत सुन्दरचा, पंचायत समिति राजसमन्द, जिला राजसमन्द, राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 991.16 वर्गफीट है उससे जुड़ा भाग व हिस्सा सहित, जो कि सुरेश चन्द्र पालीवाल पुत्र श्री शंकर लाल के स्वामित्व की है। जिसकी चारों सीमाएँ निम्न प्रकार है :– पूर्व दिशा में :– रामचन्द्र/गोकल जी का बाडा, पश्चिम दिशा में :– आम रास्ता, उत्तर दिशा में :–	

न्यायालय जिला कलक्टर

गोपीलाल/नारायण जी का मकान, दक्षिण दिशा में :– रामचन्द्र/गोकल जी का मकान। प्रार्थी कम्पनी उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उक्त वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 27.02.2024 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी। आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है – पटटा नम्बर 2303, खसरा नम्बर 1468, ग्राम सुन्दरचा, ग्राम पंचायत सुन्दरचा, पंचायत समिति राजसमन्द, जिला राजसमन्द, राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 991.16 वर्गफीट है उससे जुड़ा भाग व हिस्सा सहित, जो कि सुरेश चन्द्र पालीवाल पुत्र श्री शंकर लाल के स्वामित्व की है। जिसकी चारों सीमाएँ निम्न प्रकार है :– पूर्व दिशा में :– रामचन्द्र/ गोकल जी का बाडा, पश्चिम दिशा में :– आम रास्ता, उत्तर दिशा में :– गोपीलाल/नारायण जी का मकान, दक्षिण दिशा में :– रामचन्द्र/गोकल जी का मकान।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, उदयपुर को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, उदयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)